न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 708 / 2023

अनवान : –

1. भगवन्ती पत्नी रूघाराम उर्फ रधूवीर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. जगदीश पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
2. भागी देवी पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 26/10/2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 36 / 34 के प0न0 343 / 404(15) के किला न0 1 / 1 की 0.2280 हैक्ट, 1 / 2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 2 / 1 की 0.1010 हैक्ट, 2 / 3 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 10 की 0.2530 हैक्ट कुल 0.6330 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के खाता संख्या 86 / 82 की कुल 1.0753 हैक्ट नहरी भूमि जो की वादीया के नाम दर्ज थी जिसको बेचना करके मिलने वाली तमाम प्रतिफल वादीया ने प्रतिवादीगण को दे दिया।

वादीया एवं प्रतिवादीगण ने एक पारिवारिक समझौता किया हुआ है मुताबिक पारिवारिक समझौता वादीया के नाम दर्ज भूमि को बेचान करने पर जो राशि प्रतिवादीगण ने प्राप्त की है उस राशि के बदले में प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खताा संख्या 36 / 34 की कुल 0.6330 हैक्ट भूमि को वादीया के नाम दर्ज करवा देंगे जिसके अनुसार उपरोक्त भूमि की वादीया खातेदार काश्तकार हो चुकी है। जिसकी वादीया न्यायालय से घोषणा कर[illegible] की अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को [illegible] के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कु[illegible] दिन तक आजकल [illegible]ल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2075–78 रोही मौजा 15 जेएसन बी खाता संख्या 36/34 व खाता संख्या 86/82 प्रदर्श–1 ता 2 पारिवारिक समझौता राजीनामा प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। वादीया एवं प्रतिवादीगण ने एक पारिवारिक समझौता किया हुआ है मुताबिक पारिवारिक समझौता वादीया के नाम दर्ज भूमि को बेचान करने पर जो राशि प्रतिवादीगण ने प्राप्त की है उस राशि के बदले में प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खताा संख्या 36/34 की कुल 0.6330 हैक्ट भूमि को वादीया के नाम दर्ज करवा देंगे जिसके अनुसार उपरोक्त भूमि की वादीया खातेदार काश्तकार हो चुकी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 36/34 के प0न0 343/404(15) के किला न0 1/1 की 0.2280 हैक्ट, 1/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.1010 हैक्ट, 2/3 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 1[illegible] की [illegible]2530 हैक्ट कुल 0.6330 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम [illegible] का कथन है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण ने एक पारिवारिक समझौता किया हुआ [illegible] मुताबिक पारिवारिक समझौता वादीया के नाम दर्ज भूमि को बेचान करने पर जो राशि प्रतिवादीगण ने प्राप्त की है उस राशि के बदले में

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खताा संख्या 36/34 की कुल 0.6330 हैक्ट भूमि को वादीया के नाम दर्ज करवा देंगे जिसके अनुसार उपरोक्त भूमि की वादीया खातेदार काश्तकार हो चुकी है, वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 36/34 की कुल 0.6330 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/10/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 708 / 2023

अनवान : –

1. भगवन्ती पत्नी रूघाराम उर्फ रधूवीर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. जगदीश पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
2. भागी देवी पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 708 सन 2023 निर्णय दिनांक 26/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 जेएसएन बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 36 / 34 की कुल 0.6330 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/10/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:12 IST
Reason: SelfAttested